न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 24/2023 G.C.M.S. No. 2023/141 दर्ज दिनांक : 01.06.2023

अपीलार्थीगण:

1. तगाराम पुत्र जोगाराम, जाति चौधरी, निवासी खानपुर, तहसील जसवंतपुरा व जिला जालोर।
2. विजय कुमार पुत्र प्रेमाराम, जाति चौधरी, निवासी खानपुर, तहसील जसवंतपुरा व जिला जालोर।
3. मोहनलाल पुत्र शंकरलाल, जाति माली, निवासी भीनमाल, तहसील भीनमाल के विधिक वारिसान:–

   3/1 जगदीश पुत्र स्व. मोहनलाल माली

   3/2 अशोक कुमार पुत्र स्व. मोहनलाल माली

   3/3 मु. दरिया देवी बेवा मोहनलाल माली

   3/4 प्रियंका पुत्री मोहनलाल माली

   3/5 कंचन पुत्री मोहनलाल माली

   3/6 सीमा पुत्री मोहनलाल माली

   3/7 ममता पुत्री मोहनलाल माली

बनाम

प्रत्यर्थीगण:

1. मोरी देवी पुत्री वगताराम पत्नि मिश्राराम
2. झमका देवी पुत्री वगताराम पत्नि पुखराज, जातिगण माली निवासी भीनमाल, तहसील भीनमाल व जिला जालोर।

   परफॉर्मा रेस्पोंडेंट्स:–

3. लाछीदेवी पुत्री वगताराम पत्नि छोगाराम, जाति माली निवासी भीनमाल तहसील भीनमाल जिला जालोर।
4. उप पंजीयक अधिकारी, उप पंजीयक कार्यालय, भीनमाल।
5. तहसीलदार भूमिधारी भीनमाल, तहसील भीनमाल।
6. पटवारी हल्का मण्डल भीनमाल ए, तहसील भीनमाल।

एवं

राजस्व अपील संख्या : 33/2023 G.C.M.S. No. 2023/170 दर्ज दिनांक :01.06.2023

अपीलार्थी:

1. लाछीदेवी पुत्री वगताराम पत्नि छोगाराम, जाति माली निवासी भीनमाल तहसील भीनमाल जिला जालोर।

बनाम

प्रत्यर्थीगण:

1. मोरी देवी पुत्री वगताराम पत्नि मिश्राराम
2. झमका देवी पुत्री वगताराम पत्नि पुखराज, जातिगण माली निवासी भीनमाल, तहसील भीनमाल व जिला जालोर।
3. तगाराम पुत्र जोगाराम, जाति चौधरी, निवासी खानपुर, तहसील जसवंतपुरा व जिला जालोर।

राजस्व अपील प्राधिकारी

4. विजय कुमार पुत्र प्रेमाराम, जाति चौधरी, निवासी खानपुर, तहसील जसवंतपुरा व जिला जालोर।
5. मोहनलाल पुत्र शंकरलाल, जाति माली, निवासी भीनमाल, तहसील भीनमाल के विधिक वारिसान:–
   5/1 जगदीश पुत्र स्व. मोहनलाल माली
   5/2 अशोक कुमार पुत्र स्व. मोहनलाल माली
   5/3 मु. दरिया देवी बेवा मोहनलाल माली
   5/4 प्रियंका पुत्री मोहनलाल माली
   5/5 कंचन पुत्री मोहनलाल माली
   5/6 सीमा पुत्री मोहनलाल माली
   5/7 ममता पुत्री मोहनलाल माली
6. उप पंजीयक अधिकारी, उप पंजीयक कार्यालय, भीनमाल।
7. तहसीलदार भूमिधारी भीनमाल, तहसील भीनमाल व जिला जालोर
8. पटवारी हल्का मण्डल भीनमाल ए, तहसील भीनमाल।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर भीनमाल द्वारा राजस्व वाद संख्या 12/2013 बअनवान मोरीदेवी वगैरह बनाम तगाराम वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.01.2023 एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963

पैरोकार–

1. श्री पारसमल बराडा, श्री मुकेशसिंह, ज्योत्सना राजपुरोहित, श्री अंकित दवे, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री निखिल दवे, श्री सुरेन्द्र कुमार दवे, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट।

निर्णय

दिनांक: 05.02.2026

अपीलान्ट्स की ओर से जरिये अधिवक्ता अपील संख्या 24/2023 बअनवान तगाराम वगैरह बनाम मोरीदेवी वगैरह एवं अपील संख्या 33/2023 बअनवान लाछीदेवी बनाम मोरीदेवी वगैरह अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 सहायक कलक्टर भीनमाल द्वारा राजस्व वाद संख्या 12/2013 बअनवान मोरीदेवी बनाम तगाराम वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.01.2023 के विरूद्ध अलग–अलग प्रस्तुत की गई हैं। उक्त दोनों अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णित एक ही प्रकरण में पारित निर्णय व डिक्री के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं। अतः प्रकरण के निर्णयन में समरूपता रहें एवं किसी प्रकार की विरोधाभासपूर्ण स्थिति नहीं हों, लिहाजा दोनों अपील परस्पर संयोजित की गई तथा दोनों अपील एक साथ निर्णित की जा रही हैं। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

अपील संख्या 24/2023 बअनवान तगाराम वगैरह बनाम मोरीदेवी वगैरह में अपीलांट द्वारा जरिये अधिवक्ता यह निवेदन किया है कि हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

न्यायालय के समक्ष उपरोक्त तथ्य पूर्णरूप से स्पष्ट एवं बिना किसी विवाद के था कि विवादग्रस्त भूमि श्री वगताराम के एकल खातेदारी की भूमि थी। समस्त राजस्व रिकॉर्ड में श्री वगताराम का नाम बहैसियत खातेदारी के नाम से दर्ज था। श्री वगताराम ने इस भूमि के लिए अपीलाण्ट संख्या 2 श्री मोहनलाल के पक्ष में अपनी भूमि के लिए समस्त प्रकार की कार्रवाई करने हेतु एक आम मुख्त्यारनामा निष्पादित किया था। इस आम मुख्त्यारनामे के आधार पर अपीलाण्ट संख्या 2 ने अपीलाण्ट संख्या 1 के पक्ष में विक्रय पत्र निष्पादित किया था, जो विक्रय पत्र उप-पंजीयक, भीनमल के यहां पंजीकृत है एवं इस विक्रय पत्र के आधार पर अपीलाण्ट संख्या 1 का नाम राजस्व रिकॉर्ड में भी बहैसियत खातेदारी के रूप में दर्ज हो चुका था। इस प्रकार जो विक्रय पत्र अपीलाण्ट संख्या 1 के पक्ष में निष्पादित किया गया था। ऐसे पंजीकृत बेचाननामे में स्पष्ट तौर पर यह अंकित किया है कि विवादग्रस्त भूमि का कब्जा अपीलाण्ट संख्या 1 को सुपुर्द कर दिया गया था। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जो वाद प्रस्तुत किया था, उस वाद में उनके द्वारा कब्जा प्राप्त करने बाबत किसी प्रकार की कोई इस्तदुआ नहीं की गई थीं। बिना कब्जे की इस्तदुआ किए वादीगण का यह वाद बाबत घोषणात्मक डिक्री एवं स्थाई निषेधाज्ञा से चलने योग्य नहीं था एवं निरस्त किए जाने योग्य था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के इस महत्वपूर्ण प्रावधान को अनदेखा करते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की हैं। विवादग्रस्त भूमि में वादीगण ने रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 का हिस्सा केवल मात्र श्री वगताराम की विधि वारिसान होने के नाते माना है जबकि इस प्रकरण में यह स्पष्ट है कि अपीलाण्ट संख्या 1 के पक्ष में जो विक्रय पत्र निष्पादित किया है। वह विक्रय पत्र स्वयं श्री वगताराम के आम मुख्त्यार द्वारा निष्पादित किया गया है, ऐसी स्थिति में चूंकि श्री वगताराम इस भूमि का रिकॉर्डेड खातेदार था एवं उसने अपने खातेदारी की भूमि का बेचाननामा अपीलाण्ट संख्या 1 के पक्ष में निष्पादित किया, जो पूर्णरूप से विधि अनुरूप था। रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 जो कि श्री वगताराम की पुत्रियां थी। श्री वगताराम के जीवनकाल तक इस भूमि में रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 का उत्तराधिकार के रूप में किसी भी प्रकार से कोई हक हिस्सा अधिकार कायम नहीं हो सकता था। चूंकि विवादग्रस्त भूमि श्री वगताराम द्वारा अपने जीवनकाल में ही विक्रय कर दी गई थीं एवं इस भूमि पर वादीगण का काबिज करवा दिया गया था, तो ऐसी स्थिति में रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 का विवादग्रस्त भूमि में किसी प्रकार का कोई हिस्सा अधिकार नहीं माना जा सकता है। रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 ने यह वाद पुश्तैनी जमीन में अपना हक जन्म से आया होना मानते हुए लाया है। पुश्तैनी संपत्ति से अभिप्राय पूर्वजोर्पाजित संपत्ति से है अर्थात् पिछली चार पीढियों की संपत्ति को पैतृक संपत्ति (Ancestral Property) कहते हैं। रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 के पिता वगता को उसके परदादा (Great Grandfather)

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

से यह संपत्ति नहीं मिली है। यदि यह संपत्ति वगताराम को उसके परदादा से मिली होना व अविभाजित होना साबित हो जाता तो अधीनस्थ अदालत के सामने यह पुश्तैनी जमीन होना साबित थीं अन्यथा यह जमीन पुश्तैनी जमीन नहीं होकर स्वअर्जित संपत्ति थी। पुश्तैनी संपत्ति होने के लिए जमीन को अविभाजित होना आज्ञापक है। रेस्पोंडेंट संख्या 1 व 2 ने अपने दावा में अभिवचन किया कि स्व. छगना वल्द जोधा के तीन बेटे शंकर, डूंगर व वगता थे उनके बीच आपस में संपत्ति का बंटवाड़ा हो गया तब यह संपत्ति पैतृक संपत्ति नहीं होगी तथा रेस्पोडेंट संख्या 1 ने पैतृक संपत्ति में दावा किया व उनके ससुराल जाने के बाद काफी लंबे समय बाद संयुक्त परिवार की सदस्य नहीं होते किया गया। विधि में अविभाजित संयुक्त परिवार का सदस्य हिन्दू अविभाजित संपत्ति में अपने हक का दावा यदि लाता है तो उसे व्यस्क होने के 12 वर्ष के भीतर लाना आज्ञापक प्रावधान है जबकि यह वाद संयुक्त परिवार के सदस्य नहीं रहते हुए 12 वर्ष की अवधि के बाद पेश किया गया, जिसमें देरी का कोई वैध कारण नहीं लिखाया तथा समय सीमा के बाद ऐसा दावा मैन्टेनेबल नहीं होते हुए अधीनस्थ अदालत ने इस कानूनी मुख्य बिन्दू को नजरअंदाज कर डिक्री पारित करने में कानूनी व वाक्याती भारी भूल की हैं। अधीनस्थ अदालत में विवादित भूमि का विभाजन होने के दस्तावेज जमाबंदी व म्यूटेशन रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 ने अपनी मुख्य साक्ष्य परीक्षा के साथ दस्तावेज के रूप में पेश किए, जिससे यह प्रमाणित था कि विवादित भूमि अविभाजित नहीं रही थीं तथा इस स्वरूप विभाजन हो जाने से बदल गया तथा यह जमीन स्वअर्जित संपत्ति हो गई थीं। ऐसे में स्व. वगताराम की तरफ से इस भूमि का बेचान अपीलांट संख्या 1 व 2 को उसकी तरफ से नियुक्त मुख्तियारनामा धारक अपीलांट संख्या 3 ने किया, जिसमें रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 की सहमति की कतई आवश्यकता नहीं थीं। रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 जो वगता की पुत्रिया है, उनके पिता स्व. वगता के जीवित रहते यह वाद अपने खातेदारी हक का लाने का अधिकार नहीं तथा वाद पोषणीय नहीं था। अधीनस्थ अदालत द्वारा रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 से जिरह के दौरान दस्तावेज प्रदर्श–डी.1 अपर जिला न्यायालय भीनमाल में पेश दीवाल मूल वाद मोरीदेवी वगैरा बनाम तगाराम वगैरा व प्रदर्श–15, 16 व 17 के दस्तावेज पर कोई विवेचन अपने न्याय–निर्णयन में नहीं किया। रेस्पोडेंट संख्या 1 के पक्ष में बेचान रजिस्ट्री दिनांक 11.01.2013 को निरस्त घोषित करवाए जाने के आधारों पर दीवानी अदालत में रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 ने जो वाद लाया, उसमें मुख्य अनुतोष खातेदारी उद्घोषणा का नहीं हैं तथा मुख्य अनुतोष बेचान दस्तावेज को निरस्त घोषित बाबत् चाहा गया है। राजस्व न्यायालय में जब खातेदारी अधिकारों की घोषणा का वाद लाया गया तथा दीवानी अदालत में बेचान दस्तावेज को निरस्त घोषित करवाने का वाद समानांतर में विचाराधीन था तब दीवानी अदालत में विचाराधीन वाद की विषयवस्तु को (Null and

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

void) घोषित करवाने का लंबित था जब तक दीवानी अदालत द्वारा उक्त बेचान दस्तावेज पर अपना कोई निर्णय पारित नहीं किया जाता, तब तक राजस्व न्यायालय को खातेदारी अधिकार घोषित करने का निर्णय पारित नहीं करना था, अधीनस्थ अदालत ने ऐसा नहीं कर आलोच्य निर्णय व डिक्री पारित कर कानूनी व वाक्याती भारी भूल की हैं। इस प्रकार उपरोक्त वर्णित आधारों पर अधीनस्थ अदालत सहायक कलेक्टर भीनमाल का निर्णय डिक्री कानूनी सिद्धांतों के परे हैं एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत है तथा दस्तावेजों व मौखिक साक्ष्य व पक्षकारान की जिरह के आधार पर अधीनस्थ अदालत ने न्याय निर्णयन करने में अपने न्यायिक विवेक का सही उपयोग नहीं किया होने से जैर अपील निर्णय व आदेश को अपास्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अधीनस्थ अदालत द्वारा आलौच्य निर्णय दिनांक 30.01.2023 को पारित किया था, जिसकी जानकारी अपीलांट्स के वकील साहब द्वारा अपीलांट्स को नहीं दी गई। तत्पश्चात दिनांक 15.02.2023 से 27.03.2023 तक अधिवक्ताओं की हडताल होने से अधिवक्ता न्यायालय में हाजिर नहीं हुए इस वजह से अपीलांट्स का उनसे संपर्क नहीं हुआ। दिनांक 17.04.2023 को अपीलांट्स ने अपने अधिवक्ता से संपर्क किया एवं अपने प्रकरण के बारे में जानकारी चाही तो उन्हें राजस्व न्यायालय से जानकारी प्राप्त कर बताया कि दिनांक 30.01.2023 को निर्णय हो चुका है तब उसी रोज नकलों हेतु आवेदन पेश कर उसी रोज नकलें प्राप्त की गई। तब पहली बार उक्त आलौच्य निर्णय व डिक्री की पूर्ण जानकारी हुई। इसलिए जानकारी दिनांक 17.04.2023 से यह अपील निर्धारित समयावधि में पेश है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री अपास्त फरमावें।

अपील संख्या 33/2023 बअनवान लाछीदेवी बनाम मोरीदेवी वगैरह में अपीलांट द्वारा जरिये अधिवक्ता अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि हस्तगत प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत मौके व दस्तावेजी साक्ष्य का उचित विवेचन अपने निर्णय व डिक्री में नहीं किया है वस्तुतः हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 2005 प्रभाव में आने से अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 का वादग्रस्त आराजी मे जन्म से ही हक व अधिकार उत्पन्न हो चुका है। इसके अतिरिक्त म्यूटेशन आदि की प्रमाणित प्रतिया जो अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है उसका कोई विवेचन अपने अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में नहीं किया गया है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की तरफ से अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष झमका देवी, दीपाराम, एवं बाबुलाल के बयान करवाये गये है एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4 की तरफ से तगाराम, जगदीश व मोहनलाल के बयान करवाये गये है। जगदीश उपरोक्त वाद में पक्षकार नहीं था। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादीगण की तरफ से जो गवाह प्रस्तुत हुये है उन गवाह के बयानात से स्पष्ट है कि न तो बेचाननामा न ही मुख्त्यारनामा माफिक कानून प्रमाणित करवाया गया है। जबकि

राजस्व अपील अधिकारी
पाली

धारा 68 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार किसी भी दस्तावेज को साबित करने के लिये कम से कम एक ऐटेसीग गवाह के बयान करवाने आवश्यक है। जिससे रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4 को सद्‌भावी क्रेता मानते हुये अधिनस्थ न्यायालय ने भारी भूल की हैं। गवाह मोहनलाल ने अपने साक्ष्य शपथ पत्र में 31,00,000/— रूपये जगदीश द्वारा वगताराम को देने का अनुरोध किया है परन्तु जगदीश द्वारा कही पर अपने साक्ष्य शपथ पत्र में 31,00,000/— देने का कथन नहीं किया है। न तो अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष सही हस्तलेखा विशेषज्ञ पेश हुआ है एवं न ही मुख्त्यारनामा एवं बेचाननामों के साक्ष्य के गवाह ही पेश हुये हैं। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा सिविल न्यायालय में मुख्यारनामे को चुनौती दी जा चुकी है एवं उक्त प्रकरण के लम्बित रहते हुये अधिनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट संख्या 3 व 4 को गलत तौर पर खातेदार घोषित किया है। वगताराम की मृत्यु वाद के लम्बित रहने के दौरान हो चुकी थीं एवं उसकी पुत्रीया अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 पहले से ही रेकर्ड पर थी इस कारण वगताराम को उक्त अपील में पक्षकार नहीं बनाया गया है अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष पेशी दिनांक 28/08/2019 को संशोधित अनवान भी पेश किया जा चुका था। जिसमे वगताराम का नाम हटाया दिया गया था उसके बावजूद भी अधिनस्थ न्यायालय ने वगताराम का नाम निर्णय व डिक्री पर्चा में दर्ज कर भारी भूल की हैं। अपीलान्ट एक महिला है व माह फरवरी के दूसरे सप्ताह में बाहर चली गई थी एवं होली के पश्चात् वापिस भीनमाल लौटी उस समय अधिवक्ताओ की हडताल चलने से अधिवक्ता न्यायालय परिसर में अधिकांश तौर पर नही मिल पाते थे होली का त्यौहार निकलने के करीब 20—25 रोज बाद ही सरकारी कर्मचारियों की हडताल शुरू हो गई। अपीलान्ट के अधिवक्ता द्वारा भी यदि सूचना भेजी हो तो उसका मकान बन्द होने से प्राप्त नहीं हो सकी दिनांक 17/05/2023 को जब सरकारी कर्मचारियो की हडताल समाप्त होने की सूचना मिली तो न्यायालय में गई और अपने अधिवक्ता को मिलने पर पता चला कि निर्णय दिनांक 30/01/2023 को हो चुका है जिस पर उसकी रोज निर्णय की नकल हेतू आवेदन पेश किया जिस पर निर्णय की नकल दिनांक 18/05/2023 को प्राप्त हुई अपीलान्ट को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री का ज्ञान दिनांक 17/05/2023 को ही हुआ उससे पहले कभी नहीं हुआ इन हालात में निर्णय व डिक्री का ज्ञान होने एवं उसकी नकल मिलने की तारीख से अपील अन्दर म्याद है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री अपास्त फरमावें।

म्याद के बिंदु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दोनों अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

Scanned with OKEN Scanner

प्रकरण में विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में वादग्रस्त आराजीयात के संबंध में वादीगण रेस्पोंडेंट संख्या 1 व 2 द्वारा अपीलांट्स व दीगर रेस्पोंडेंट्स के विरूद्ध खातेदारी अधिकारों की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत वादपत्र प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 30.01.2023 द्वारा स्वीकार किया गया। जिसके विरूद्ध अपील संख्या 24/2023 के अपीलांट्स द्वारा हस्तगत अपील दिनांक 01.05.2023 को एवं अपील संख्या 33/2023 के अपीलांट्स द्वारा हस्तगत अपील दिनांक 01.06.2023 को विलंब के साथ प्रस्तुत की गई।

2. अपीलांट्स द्वारा विलंबकाल के संबंध में धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मुख्य रूप से यह निवेदन किया कि अधीनस्थ अदालत द्वारा आलौच्य निर्णय दिनांक 30.01.2023 को पारित किया था, जिसकी जानकारी अपीलांट्स के वकील साहब द्वारा अपीलांट्स को नहीं दी गई। तत्पश्चात दिनांक 15.02.2023 से 27.03.2023 तक अधिवक्ताओं की हडताल होने से अधिवक्ता न्यायालय में हाजिर नहीं हुए इस वजह से अपीलांट्स का उनसे संपर्क नहीं हुआ। दिनांक 17.04.2023 को अपीलांट्स ने अपने अधिवक्ता से संपर्क किया एवं अपने प्रकरण के बारे में जानकारी चाही तो उन्हें राजस्व न्यायालय से जानकारी प्राप्त कर बताया कि दिनांक 30.01.2023 को निर्णय हो चुका है तब उसी रोज नकलों हेतु आवेदन पेश कर उसी रोज नकलें प्राप्त की गई। तब पहली बार उक्त आलौच्य निर्णय व डिक्री की पूर्ण जानकारी हुई तथा इसी प्रकार अपील संख्या 32/2023 बअवनवान लाछीदेवी बनाम मोरीदेवी वगैरह के अपीलांट द्वारा विलंबकाल के संबंध में धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मुख्य रूप से यह निवेदन किया कि अपीलान्ट एक महिला है व माह फरवरी के दूसरे सप्ताह में बाहर चली गई थी एवं होली के पश्चात् वापिस भीनमाल लौटी उस समय अधिवक्ताओं की हडताल चलने से अधिवक्ता न्यायालय परिसर में अधिकांश तौर पर नही मिल पाते थे होली का त्यौहार निकलने के करीब 20–25 रोज बाद ही सरकारी कर्मचारियों की हडताल शुरू हो गई अपीलान्ट के अधिवक्ता द्वारा भी यदि सूचना भेजी हो तो उसका मकान बन्द होने से प्राप्त नहीं हो सकी। दिनांक 17/05/2023 को जब सरकारी कर्मचारियों की हडताल समाप्त होने की सूचना मिली तो न्यायालय में गई और अपने अधिवक्ता को मिलने पर पता चला कि निर्णय दिनांक 30/01/2023 को हो चुका है जिस पर उसकी रोज निर्णय की नकल हेतु आवेदन पेश किया जिस पर निर्णय की नकल दिनांक 18/05/2023 को

राजस्व अपील प्राधिकारी

प्राप्त हुई। अपीलान्ट को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री का ज्ञान दिनांक 17/05/2023 को ही हुआ उससे पहले कभी नहीं हुआ। इन हालात में निर्णय व डिक्री का ज्ञान होने एवं उसकी नकल मिलने की तारीख से अपील अन्दर म्याद है। अतः अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार फरमावें।

3. हमारे विनम्र मत में दोनों अपील प्रकरण में दीर्घ विलंब निहित नहीं है तथा प्रकरण में गुणावगुण से संबंधित सारवान प्रश्न विद्यमान है। जिसके विनिश्चय के लिए उभयपक्षकारान को सुना जाना आवश्यक है तथा प्रकरण का निर्णयन कठोर, तकनीकी व प्रक्रियात्मक आधार पर नहीं कर गुणावगुण के आधार पर किया जाना चाहिए। प्रकरण में विलंब अपीलांट्स की लापरवाही या उदासीनता से होना साबित नहीं है। अतः विलंब सद्भाविक व युक्तियुक्त होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलंबकाल माफ करते हुए दोनों अपील अंदर म्याद शुमार की जाती हैं।

4. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में वादपत्र एवं जवाबदावा के आधार पर विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा विवाद्यक विरचित किए गए तथा उभयपक्षकारान की साक्ष्य उपरांत विवाद्यकवार विवेचन व निर्णयन करते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई हैं। अतः इस संबंध में प्रक्रियात्मक रूप से कोई त्रुटि नहीं हैं। चूंकि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा वादपत्र विवाद्यकवार विवेचन व निर्णयन करते हुए अंतिम रूप से निर्णित व डिक्री किया है तथा अपीलांट्स द्वारा विवाद्यकों में पारित निर्णय को भी प्रश्नगत किया है। अतः इस स्तर पर विवाद्यकवार विवेचन व निर्णयन अपेक्षित है। जो निम्नानुसार है :-

अ. विवाद्यक संख्या 1 – आया सरहद मौजा भीनमाल ए में स्थित खसरा संख्या 5279 कुल रकबा 01.35 हैक्टेयर में वादीगण पुश्तैनी आराजी में अपने हक, हिस्से की खातेदारी अपने नाम घोषित करवाने की अधिकारिणी हैं ?.............. जिम्मे वादीगण।

इस विवाद्यक को साबित करने की जिम्मेदारी वादीगण की थीं। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा वादग्रस्त आराजीयात प्रदर्श 3 से 7 के अनुसार आरंभ में छगना वल्द जोधा की खातेदारी होने तथा उसके बाद छगना के वारिसान शंकर, डूंगर व वगता के नाम दर्ज होने तथा उक्त तीनों सहखातेदारान द्वारा बंटवाड़ा करवाने के बाद वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी संख्या 4 वगताराम जोकि वादिया एवं प्रतिवादी संख्या 5 का पिता है, के नाम दर्ज होने के आधार पर वादग्रस्त आराजी वगताराम की स्वअर्जित न होकर पैतृक आराजी होने तथा वादीगण तथा प्रतिवादी संख्या 5, प्रतिवादी संख्या 4 की संतान होने से जन्म से खातेदारी अधिकार निहित होने एवं प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा के प्रकरण

राजस्व अपील अधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

में पारित निर्णय दिनांक 11.08.2020 में प्रकट अभिमत के आधार पर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 5 एवं प्रतिवादी संख्या 4 प्रत्येक का 1/4–1/4 हिस्सा निहित होना मानते हुए उक्त विवाद्यक वादीगण के पक्ष में निर्णित किया गया।

हमारे विनम्र मत में पत्रावली पर उपलब्ध एवं वादी साक्ष्य में प्रस्तुत दस्तावेजात प्रदर्श 3 जमाबंदी खतौनी बंदोबस्त संवत 2012 से 2029 प्रदर्श 4 जमाबंदी संवत 2026 से 2029, प्रदर्श 5 जमाबंदी संवत 2020 से 2023, प्रदर्श 6 जमाबंदी संवत 2024 से 2027, प्रदर्श 7 जमाबंदी संवत 2028 से 2031, प्रदर्श 8 भूप्रबंध विभाग की जमाबंदी, प्रदर्श 9 जमाबंदी संवत 2048 से 2051, प्रदर्श 10 जमाबंदी संवत 2056 से 2059, प्रदर्श 11 जमाबंदी संवत 2060 से 2063, प्रदर्श 12 जमाबंदी संवत 2064 से 2067, प्रदर्श 13 नामांतरण पंजिका ग्राम भीनमाल ए एवं प्रदर्श 14 न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश भीनमाल में विचाराधीन दीवानी वाद संख्या 09/2013 बअनवान मोरीदेवी वगैरह बनाम तगाराम वगैरह की आदेशिका की प्रमाणित प्रति, प्रदर्श 15 न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश भीनमाल में वादीगण मोरीदेवी वगैरह द्वारा प्रतिवादीगण तगाराम वगैरह के विरूद्ध प्रस्तुत दावा बाबत मुख्तियारनामा आम दिनांक 18.12.2012 व पंजीबद्ध बेचान दस्तावेज दिनांक 11.01.2013 को शून्य घोषित करने एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत वादपत्र की प्रति एवं प्रतिवादी साक्ष्य में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श डी 1 नामांतरण पंजिका ग्राम भीनमाल ए, प्रदर्श डी 2 न्यायालय सहायक कलक्टर भीनमाल द्वारा आदेश 7 नियम 11 सीपीसी में पारित निर्णय दिनांक 21.03.2017 के अवलोकन से यह सुस्पष्ट है कि संवत 2012 से आरंभ में खसरा संख्या 2370, 2371, 2372, 2803, 2812, 2873 व 2874 एवं कुल खसरा 7 रकबा 122–19 बीघा छगना वल्द जोधा के नाम दर्ज था। भूप्रबंध कार्यवाही के दौरान उक्त खसरान से नवीन खसरा सृजित हुए, एवं छगना के फौत होने पर उसके वारिस संतान शंकर, डूंगर व वगता पुत्रगण छगना के नाम दर्ज हुई। जिनके मध्य परस्पर सहमति से निष्पादित एवं तहसीलदार भीनमाल द्वारा स्वीकृत बंटवाड़ा आदेश दिनांक 30.03.2005 द्वारा आराजीयात विभाजित होकर नामांतरण संख्या 1926 दिनांक 30.03.2005 द्वारा पृथक–पृथक दर्ज हुई। जिसमें से खसरा संख्या 2157 रकबा 1.49 हैक्टेयर एवं खसरा संख्या 2158 रकबा 1.27 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 5279 रकबा 1.35 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 4.11 हैक्टेयर प्रतिवादी संख्या 3 वगता के नाम पृथक से दर्ज हुई। खसरा संख्या 5279 की आराजी पंजीकृत विक्रय–विलेख दिनांक 11.01.2013 द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को हस्तांतरित कर दी गई। जोकि नामांतरण संख्या 2123 दिनांक 23.01.2013 द्वारा भू–अभिलेख में विक्रेता के स्थान पर क्रेतागण के नाम दर्ज हुई। वादियागण जोकि विक्रेता वगताराम प्रतिवादी संख्या 4 की पुत्रियां है, द्वारा

राजस्व अपील प्राधिकारी

उक्त आराजी में से खसरा संख्या 5279 जिसे वादग्रस्त आराजी संबोधित किया जाएगा, में खातेदारी अधिकारों की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा बाबत प्रतिवादीगण के विरूद्ध अनुतोष चाहा गया है। वादपत्र में खसरा संख्या 5157 व 5158 के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है एवं न ही इस संबंध में कोई अनुतोष चाहा गया है। यह निर्विवाद है कि उभयपक्षकारान हिंदू उत्ताराधिकार अधिनियम 1956 से शासित होते हैं। प्रकरण में महत्वपूर्ण विधिक व विवेच्य विषय यह है कि वादग्रस्त आराजीयात जो हिंदू उत्ताराधिकार अधिनियम 1956 प्रवृत्त होने के समय वादियागण के दादा एवं वादियागण के पिता प्रतिवादी संख्या 4 वगताराम के पिता छगना के नाम दर्ज थीं। छगना की मृत्यु उपरांत छगना के वारिस पुत्रगण के नाम बतौर विरासतन वादियागण के पिता वगताराम एवं वगताराम के भाई शंकर व डूंगर के नाम दर्ज हुई। जिन्होंने परस्पर विभाजन करवाया गया तथा वगताराम के नाम पृथक से वादग्रस्त आराजीयात दर्ज हुई। वगताराम द्वारा अपने जीवनकाल में अपने द्वारा धारित वादग्रस्त आराजीयात का प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम पंजीकृत विक्रय–विलेख से अंतरण कर दिया गया। अतः ऐसी स्थिति में क्या वगताराम द्वारा धारित संपत्ति पैतृक सहदायिक संपत्ति थीं या नहीं थीं ? एवं क्या वगताराम उक्त आराजी को अंतरित करने के लिए सक्षम था या नहीं ? तथा क्या वगताराम द्वारा किया गया अंतरण वादियागण के हितों के विरूद्ध आरंभतः शून्य था या नहीं ?

इस संबंध में प्रकरण में हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत पैतृक आराजी की संकल्पना/अवधारणा के संबंध में कानून/विधि की स्थिति को समझना अपरिहार्य है। इस संबंध में माननीय न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित असंख्य न्यायिक दृष्टांतों के द्वारा पैतृक संपति की संकल्पना/अवधारणा की व्याख्या की गई है। इस श्रृंखला में कुछ महत्वपूर्ण न्यायिक दृष्टांतों द्वारा की गई विवेचना का उद्धरण प्रकरण में प्रासंगिक है। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 5415/2011 बउनवान **Shyam Narayan Prasad vs Krishna Prasad** में दिनांक 02.07.2018 को पारित निर्णय में पैतृक संपति की संकल्पना/अवधारणा के संबंध में विवेचना की है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण निम्न प्रकार है:–

.......12. It is settled that the property inherited by a male Hindu from his father, father's father or father's father's father is an ancestral property. The essential feature of ancestral property, according to Mitakshara Law, is that the sons, grandsons, and great grandsons of the person who inherits it, acquire an interest and the rights attached to such property at the moment of their birth. The share which a coparcener obtains on

partition of ancestral property is ancestral property as regards his male issue. After partition, the property in the hands of the son will continue to be the ancestral property and the natural or adopted son of that son will take interest in it and is entitled to it by survivorship. In M. Yogendra and Ors. v. Leelamma N. and Ors. 2009 (15) SCC 184, it was held as under: "It is now well settled in view of several decisions of this Court that the property in the hands of a sole coparcener allotted to him in partition shall be his separate property for the same shall revive only when a son is born to him. It is one thing to say that the property remains a coparcenary property but it is another thing to say that it revives. The distinction between the two is absolutely clear and unambiguous. In the case of former any sale or alienation which has been done by the sole survivor coparcener shall be valid whereas in the case of a coparcener any alienation made by the karta would be valid." (emphasis supplied)

इस संबंध में माननीय मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा द्वितीय अपील संख्या 453/2006 बउनवान S.Dakshina vs Chinnaponnu में दिनांक 17.09.2012 को पारित निर्णय में पैतृक संपति की संकल्पना/अवधारणा के संबंध में विवेचना की है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण निम्न प्रकार है:–

10. At the outset, I would like to fumigate my mind with the concept 'ancestral property'. Certain excerpts from the famous Treatises would run thus:

(i) Mayne's Hindu Law and Usage, 14th Edition at page No. 624.

"292. Ancestral Property The second question is as to what is meant by coparcenary property. The first species of coparcenary property is that which is known as ancestral property. That term, in its technical sense, is applied to property which descends upon one person in such a manner that his male issue acquire certain rights in it as against him. For instance, if a father under Mitakshara law is attempting to dispose of property, we inquire whether it is ancestral property. The answer to this question is that property is ancestral property in the father's hands if it has been inherited by him as unobstructed property, that is not ancestral if it has

been inherited by the father as obstructed property. The reason of this distinction is that, in the former case, the father had an effective vested interest in the property, before the inheritance fell in, and therefore his own issue acquired by birth a similar interest in that interest. Hence, when the property actually devolved upon him, he took it subject to the interest they had already acquired. But in the latter case, the father had no such interest in the property, before the descent took place; therefore, when what even occurred, he received the property free of all claims upon it by his issue, and a fortiori, by any other person. Hence, all property which a man inherits from a direct male ancestor, not exceeding three degrees higher than himself, is ancestral property, and is at once held by himself in coparcenary with his own male issue. In view of Section 8 of the Hindu Succession Act it has been held the property inherited by the son as Class I heir from his father will be the self acquired property in the hands of the son. When he has no male issue, the sister will inherit the property as separate property. But where he has inherited from a collateral relation, as for instance from a brother, nephew, cousin or uncle, it is not ancestral property in his hands in relation to his male issue; consequently his male issues have no equal rights as coparceners. ...."

(ii) N.R.Raghavachariar's Hindu Law Principles and Precedents Nineth Edition at Page No.213:

"244. Ancestral Property: The term "ancestral property", which is a technical term having a special meaning, does not mean proeprty inherited from any ancestor, male or female, paternal or maternal, near or remote, but only such property as is inherited by a male from father, father's father and father's father's father [Atar v. Thakar, L.R.35 I.A.206: I.L.R.35 Cal.1039: 6 I.C.721: 18 M.L.J.379: 10 Bom.L.R.790; 12 C.W.N.1049 (P.C.); Mohamed Hussain v. Babu Kishva Nandan, 46 L.W.1: 1937 M.W.N.683: (1937) 2 M.L.J.151; Venkateshwarlu v. Raghavalu, 1955 An.W.R.39; Budhraj v. Bhan Zarlal, A.I.R.1954 Ajmer 69.Cf., Naragand Prabhu v. Janardhana Mallan, 1973 Ker.L.R.665]. Such inheritor's son, son's son and son's son's son get an interest in it by birth and can interdict

improper alienations by the inheritor, whose position in respect of that property, though it will otherwise be absolute, is reduced, in the presence of such descendants, to that of an owner with restricted rights [Chuttan Lal v. Kallu, I.L.R. 33 All.283: 8 A.L.J.15; 8 I.C.719' Jugmohandas v. Mangaldas, I.L.R. 10 Bom.528; Mahomed Hussain v. Babu Kishva Nandan, supra]. The circumstance that the property has been inherited from one of such three immediate paternal ancestors after the interposition of a life tenure created by that ancestor in his wife's favour does not take away the character of the property as ancestral and the inheritor's lineal male descendants upto the third degree will get an interest in it by birth [Beni Parshad v. Puran Chand, I.L.R. 23 Cal.262; Nanabhai v. Achratbai, I.L.R.12 Bom.122]. Nor does the circumstance that the property, when it was with the ancestor from whom it was inherited was his selfacquired or separate property affect the question [Ram Narain v. Pertum Singh, 11 Beng.L.R.397; Madivalappa v. Subbappa, 39 Bom.L.R.895: AIR 1937 Bom.458; Shyam Behart v. Rameshwar, I.L.R. 20 Pat.904: AIR 1942 Pat.213; Mst.Ram Devi v. Mst.Gyarse, AIR 1949 All.545 (F.B.)]. Besides, it is absolutely immaterial whether the sons were born to the inheritor before or after the inheritance fell in. But if the property is inherited from a paternal ancestor beyond the third degree then the property is not ancestral as against the inheritor's sons, and the inheritor has absolute powers of disposal over it."

11. A plain running of the eye over those excerpts from those two treatises, would exemplify and demonstrate unambiguously and unequivocally, that if a male Hindu owning immovable properties dies leaving behind his wife and children, then his wife and children would be Class I heirs, by virtue of Section 8 read with clause (1) of the Hindu Succession Act, to inherit his property which cannot be described as ancestral property, and they would be inheriting the property of the deceased male Hindu as their absolute property and the grandchildren of the deceased original owner would have directly no right over it.

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

10. इस परिस्थिति में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 के लागू होने के पश्चात परिवर्तन के बारे में समझना भी आवश्यक है। इस संबंध में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा CS (OS) No.1737/2012 cmuoku Sh. Surender Kumar vs Sh. Dhani Ram में दिनांक 18.01.2016 को पारित निर्णय में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम–1956 के लागू होने के पश्चात परिवर्तन के संबंध में विवेचना की है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण निम्न प्रकार है:–

.......5. The Supreme Court around 30 years back in the judgment in the case of Commissioner of Wealth Tax, Kanpur and Others Vs. Chander Sen and Others, (1986) 3 SCC 567, held that after passing of the Hindu Succession Act, 1956 the traditional view that on inheritance of an immovable property from paternal ancestors up to three degrees, automatically an HUF came into existence, no longer remained the legal position in view of Section 8 of the Hindu Succession Act, 1956. This judgment of the Supreme Court in the case of Chander Sen (supra) was thereafter followed by the Supreme Court in the case of Yudhishter Vs. Ashok Kumar, (1987) 1 SCC 204 wherein the Supreme Court reiterated the legal position that after coming into force of Section 8 of the Hindu Succession Act, 1956, inheritance of ancestral property after 1956 does not create an HUF property and inheritance of ancestral property after 1956 therefore does not result in creation of an HUF property.

6. In view of the ratios of the judgments in the cases of Chander Sen (supra) and Yudhishter (supra), in law ancestral property can only become an HUF property if inheritance is before 1956, and such HUF property therefore which came into existence before 1956 continues as such even after 1956. In such a case, since an HUF already existed prior to 1956, thereafter, since the same HUF with its properties continues, the status of joint Hindu family/HUF properties continues, and only in such a case, members of such joint Hindu family are coparceners entitling them to a share in the HUF properties.

7. On the legal position which emerges pre 1956 i.e before passing of the Hindu Succession Act, 1956 and post 1956 i.e after passing of the Hindu Succession Act, 1956, the same has been considered by me recently in the

राजस्व अपील प्राधिकारी

judgment in the case of Sunny (Minor) & Anr. vs. Sh. Raj Singh & Ors., CS(OS) No.431/2006 decided on 17.11.2015. In this judgment, I have referred to and relied upon the ratio of the judgment of the Supreme Court in the case of Yudhishter (supra) and have essentially arrived at the following conclusions:-

(i) If a person dies after passing of the Hindu Succession Act, 1956 and there is no HUF existing at the time of the death of such a person, inheritance of an immovable property of such a person by his successors-in-interest is no doubt inheritance of an 'ancestral' property but the inheritance is as a self acquired property in the hands of the successor and not as an HUF property although the successor(s) indeed inherits 'ancestral' property i.e a property belonging to his paternal ancestor.

(ii) The only way in which a Hindu Undivided Family/joint Hindu family can come into existence after 1956 (and when a joint Hindu family did not exist prior to 1956) is if an individual's property is thrown into a common hotchpotch. Also, once a property is thrown into a common hotchpotch, it is necessary that the exact details of the specific date/month/year etc of creation of an HUF for the first time by throwing a property into a common hotchpotch have to be clearly pleaded and mentioned and which requirement is a legal requirement because of Order VI Rule 4 CPC which provides that all necessary factual details of the cause of action must be clearly stated. Thus, if an HUF property exists because of its such creation by throwing of self-acquired property by a person in the common hotchpotch, consequently there is entitlement in coparceners etc to a share in such HUF property.

(iii) An HUF can also exist if paternal ancestral properties are inherited prior to 1956, and such status of parties qua the properties has continued after 1956 with respect to properties inherited prior to 1956 from paternal ancestors. Once that status and position continues even after 1956; of the HUF and of its properties existing; a coparcener etc will have a right to seek partition of the properties.

राजस्व अपील प्राधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

(iv) Even before 1956, an HUF can come into existence even without inheritance of ancestral property from paternal ancestors, as HUF could have been created prior to 1956 by throwing of individual property into a common hotchpotch. If such an HUF continues even after 1956, then in such a case a coparcener etc of an HUF was entitled to partition of the HUF property.

इसी प्रकार माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा CS(OS) No. 431/2006 बउनवान Sunny (Minor) & Anr. vs Sh. Raj Singh में दिनांक 17.11.2015 को पारित निर्णय में सहदायिकी संपति पर हिन्दू उतराधिकार अधिनियम–1956 की धारा–08 के प्रभाव के संबंध में विवेचना की है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण निम्न प्रकार है:–

.... 7(i). As per the ratio of the Supreme Court in the case of Yudhishter (supra) after passing of the Hindu Succession Act, 1956 the position which traditionally existed with respect to an automatic right of a person in properties inherited by his paternal predecessors-in-interest from the latter's paternal ancestors upto three degrees above, has come to an end. Under the traditional Hindu Law whenever a male ancestor inherited any property from any of his paternal ancestors upto three degrees above him, then his male legal heirs upto three degrees below him had a right in that property equal to that of the person who inherited the same. Putting it in other words when a person 'A' inherited property from his father or grandfather or great grandfather then the property in his hand was not to be treated as a self- acquired property but was to be treated as an HUF property in which his son, grandson and great grandson had a right equal to 'A'. After passing of the Hindu Succession Act, 1956, this position has undergone a change and if a person after 1956 inherits a property from his paternal ancestors, the said property is not an HUF property in his hands and the property is to be taken as a self-acquired property of the person who inherits the same. There are two exceptions to a property inherited by such a person being and remaining selfacquired in his hands, and which will be either an HUF and its properties was existing even prior to the passing of the Hindu Succession Act, 1956 and

Scanned with OKEN Scanner

which Hindu Undivided Family continued even after passing of the Hindu Succession Act, 1956, and in which case since HUF existed and continued before and after 1956, the property inherited by a member of an HUF even after 1956 would be HUF property in his hands to which his paternal successors-in-interest upto the three degrees would have a right. The second exception to the property in the hands of a person being not self-acquired property but an HUF property is if after 1956 a person who owns a self-acquired property throws the self-acquired property into a common hotchpotch whereby such property or properties thrown into a common hotchpotch become Joint Hindu Family properties/HUF properties. In order to claim the properties in this second exception position as being HUF/Joint Hindu Family properties/properties, a plaintiff has to establish to the satisfaction of the court that when (i.e date and year) was a particular property or properties thrown in common hotchpotch and hence HUF/Joint Hindu Family created.

(ii) This position of law alongwith facts as to how the properties are HUF properties was required to be stated as a positive statement in the plaint of the present case, but it is seen that except uttering a mantra of the properties inherited by defendant no.1 being 'ancestral' properties and thus the existence of HUF, there is no statement or a single averment in the plaint as to when was this HUF which is stated to own the HUF properties came into existence or was created ie whether it existed even before 1956 or it was created for the first time after 1956 by throwing the property/properties into a common hotchpotch. This aspect and related aspects in detail I am discussing hereinafter.

8(i). A reference to the plaint shows that firstly it is stated that Sh. Tek Chand who is the father of the defendant no.1 (and grandfather of Sh. Harvinder Sejwal and defendants no.2 to 4) inherited various ancestral properties which became the basis of the Joint Hindu Family properties of the parties as stated in para 15 of the plaint. In law there is a difference between the ancestral property/properties and the Hindu Undivided Family property/properties for the pre 1956 and post 1956 position as

राजस्व अपील प्राधिकारी

stated above because inheritance of ancestral properties prior to 1956 made such properties HUF properties in the hands of the person who inherits them, but if ancestral properties are inherited by a person after 1956, such inheritance in the latter case is as self-acquired properties unless of course it is shown in the latter case that HUF existed prior to 1956 and continued thereafter.

इस प्रकार सहदायिकी संपति पर हिन्दू उतराधिकार अधिनियम–1956 की धारा–08 के प्रभाव के संबंध में उपरोक्त न्यायिक दृष्टांतों में की गई विवेचना के अनुसार हिन्दू उतराधिकार अधिनियम–1956 की धारा–08 के प्रभाव की कानून की स्थिति निम्न प्रकार स्पष्ट की गई है:–

1. हिन्दू उतराधिकार अधिनियम–1956 के लागू होने के पश्चात धारा–8 के तहत विरासत के तहत प्राप्त संपति को प्राप्तकर्ता हिन्दू की पैतृक/सहदायिकी संपति नही मानकर प्राप्तकर्ता हिन्दू की पृथक संपति माना जाता है।
2. अगर उक्त स्थिति में विरासत हिन्दू उतराधिकार अधिनियम–1956 के लागू होने से पूर्व खुलती हैं, उस स्थिति में ही विरासत के तहत प्राप्त संपति को प्राप्तकर्ता हिन्दू की पैतृक संपति माना जाता है।
3. हिन्दू संयुक्त परिवार के किसी सदस्य की पृथक संपति उस सदस्य विशेष द्वारा हिन्दू संयुक्त परिवार या सहदायिकी संपति के बंडल में स्वेच्छा से समर्पित करने पर ही उस सदस्य विशेष की पृथक संपति सहदायक संपति का हिस्सा मानी जाती हैं।

अतः उपर्युक्त विस्तृत विवेचन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजीयात वादीगण के पिता वगताराम को प्राप्त अविभाजित हिंदू परिवार द्वारा धारित पैतृक/सहदायिक संपत्ति नहीं होकर पृथक संपत्ति की श्रेणी में मानी जाती हैं। ऐसी स्थिति में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 6 के अंतर्गत उक्त आराजी सहदायिक आराजी नहीं होने से वादियागण को अपने पिता के जीवनकाल में कोई सहदायिक अधिकार/हिस्सा सृजित नहीं हो सकते तथा संपत्ति प्राप्तकर्ता वगताराम को अपने जीवनकाल में उक्त संपत्ति का व्ययन/अंतरण करने का पूर्ण कानूनन अधिकार था। अतः वगताराम द्वारा किया गया अंतरण वादियागण के हितों के विरूद्ध आरंभतः शून्य नहीं माना जा सकता। अतः इस संबंध में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों एवं वांछित अनुतोष की संगत विधिक प्रावधानों के आलोक में समुचित विवेचना नहीं की गई हैं तथा वादग्रस्त आराजीयात के पैतृक/सहदायिक आराजी मानकर कानूनन भूल की हैं। अतः उक्त विवाद्यक के संबंध में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

प्रकट अभिमत व निर्णयन को अपास्त करते हुए यह विवाद्यक वादीगण रेस्पोंडेंट संख्या 1 व 2 के विरूद्ध व अपीलांट के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

ब. विवाद्यक संख्या 2 – आया वादग्रस्त आराजी में माफिक इस्तदुआ प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा पाने की अधिकारिणी है ?........ जिम्मे वादीगण।

उक्त विवाद्यक वादीगण के जिम्मे था। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा विवाद्यक संख्या 1 वादियागण के पक्ष में निर्णित होने के आधार पर इसे भी वादियागण के पक्ष में निर्णित किया है। हमारे विनम्र मत में चूंकि पूर्व विवेचित व निर्णित विवाद्यक संख्या 1 के विवेचन से स्पष्ट है कि वादियागण वादग्रस्त आराजीयात में खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने की अधिकारी नहीं हैं। अतः इस संबंध में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित अभिमत व निर्णयन को अपास्त करते हुए इसे वादियागण के विरूद्ध निर्णित किया जाता है।

स. विवाद्यक संख्या 3 – आया वादग्रस्त आराजी को विधिपूर्वक पंजीकृत दस्तावेज के जरिये खरीदा है। इसलिए उक्त दस्तावेज जब तक सक्षम न्यायालय से निरस्त नहीं हो जाता है तब तक वादग्रस्त आराजीयात के किसी भी हिस्से की खातेदारी की घोषणा वादीगण अपने नाम करवाने की अधिकारिणी नहीं हैं ?...........जिम्मे प्रतिवादी संख्या 1 से 3

उक्त विवाद्यक प्रतिवादीगण अपीलांट के जिम्मे था। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा विवाद्यक संख्या 1 के निर्णय के आधार पर वादियागण का वादग्रस्त आराजीयात में जन्म से अधिकार निहित होना मानते हुए पंजीकृत अंतरण को आरंभतः शून्य मानते हुए प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित किया है। हमारे विनम्र मत में विवाद्यक संख्या 1 के निर्णयन से स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा किया गया अंतरण आरंभतः शून्य नहीं हैं तथा वादीगण खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने की अधिकारिणी नहीं हैं। साथ ही वादियागण द्वारा पंजीकृत विक्रय–विलेख शून्य घोषित करवाने के लिए सक्षम सिविल न्यायालय में पृथक से वादपत्र दायर किया गया। अतः जब तक वादीगण सक्षम सिविल न्यायालय से पंजीकृत विक्रय–विलेख शून्य घोषित नहीं करवा देती, तब तक वादग्रस्त आराजीयात में खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने की अधिकारिणी नहीं हैं। अतः उक्त विवाद्यक के संबंध में विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित अभिमत व निर्णयन को अपास्त करते हुए उक्त विवाद्यक अपीलांट प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

द. विवाद्यक संख्या 4 – आया कथित वसीयतनामा अपने प्रभाव में आने के पूर्व ही वादग्रस्त आराजी को वगताराम ने विधिसम्मत प्रक्रिया से बेचान कर दिया। जिससे

Scanned with OKEN Scanner

वादीगण का वादग्रस्त आराजीयात में कोई हक व हिस्सा उक्त वाद पेश करने से पूर्व नहीं रह गया है ?................जिम्मे प्रतिवादी संख्या 1 से 3

उक्त विवाद्यक अपीलांट के जिम्मे रखा गया। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा वादपत्र में प्रतिवादी संख्या 3 व उनकी पत्नि द्वारा वादियागण व प्रतिवादी संख्या 4 के पक्ष में वादग्रस्त आराजी की वसीयत किए जाने का उल्लेख किया है। साथ ही मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत की हैं। लेकिन कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। जिसके आधार पर उक्त विवाद्यक वादीगण के विरूद्ध निर्णित किया गया है। जो हमारे विनम्र मत में विधिसम्मत है।

य. विवाद्यक संख्या 5 – आया वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादी 5 के 1/3 हिस्सा की घोषणा करवाकर खातेदारी की डिक्री करवाने की अधिकारिणी है ?..............जिम्मे प्रतिवादी संख्या 5

उक्त विवाद्यक प्रतिवादी संख्या 5 के जिम्मे रखा गया। विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा विवाद्यक संख्या 1 के निर्णयन के आधार पर वादीगण व प्रतिवादी संख्या 4 व 5 प्रत्येक का वादग्रस्त आराजी में 1/4–1/4 हिस्सा होना मानते हुए प्रतिवादी संख्या 5 के पक्ष में 1/3 हिस्से की घोषणा किया जाना विधिसम्मत नहीं मानते हुए उक्त विवाद्यक प्रतिवादी संख्या 5 के विरूद्ध निर्णित किया गया। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा इसके विरूद्ध पृथक से पश्चातवर्ती अपील प्रस्तुत की गई। हमारे विनम्र मत में चूंकि पूर्व विवेचन से यह सुस्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजीयात में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 5 का कोई हिस्सा निहित नहीं था, तथा प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा धारित वादग्रस्त आराजी पैतृक, सहदायिक आराजी नहीं होकर उनकी पृथक आराजी थीं। अतः प्रतिवादी संख्या 5 खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने की अधिकारिणी नहीं हैं। अतः उक्त विवाद्यक अपीलांट प्रतिवादी संख्या 5 के विरूद्ध निर्णित किया जाना विधिसम्मत है।

व. विवाद्यक संख्या 6 – आया वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादी संख्या 1 से 3 तथा 6 से 8 के विरूद्ध माफिक इस्तदुआ स्थाई निषेधाज्ञा पाने की अधिकारिणी है ?.........जिम्मे प्रतिवादी संख्या 5

विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उक्त विवाद्यक प्रकरण में वादीगण द्वारा बंटवाडें की मांग नहीं करने से स्थाई निषेधाज्ञा की मांग किया जाना विधिसम्मत नहीं मानते हुए उक्त विवाद्यक वादीगण के विरूद्ध निर्णित की गई। हमारे विनम्र मत में क्योंकि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 5 खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने की अधिकारिणी नहीं हैं। अतः स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं हैं। अतः

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

इस संबंध में उक्त विवाद्यक विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा वादीगण के विरूद्ध निर्णित कर कोई विधिविरूद्धता नहीं की हैं।

5. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि वादियागण रेस्पोंडेंट संख्या 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत वादपत्र बखूबी साबित नहीं होने तथा वादियागण व प्रतिवादी संख्या 5 खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने की अधिकारिणी नहीं होने तथा विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री पुष्टि योग्य नहीं होने एवं अपीलांट तगाराम वगैरह द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 24/2023 बखूबी साबित बखूबी साबित होने एवं अपीलांट लाछीदेवी द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 33/2023 बखूबी साबित नहीं होने से अपील संख्या 24/2023 स्वीकार किया जाना व अपील संख्या 33/2023 अस्वीकार किया जाना तथा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपास्त किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील संख्या 24/2023 बअनवान तगाराम वगैरह बनाम मोरीदेवी वगैरह अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार करते हुए तथा अपील संख्या 33/2023 बअनवान लाछीदेवी बनाम मोरीदेवी वगैरह बखूबी साबित नहीं होने व सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर भीनमाल द्वारा राजस्व वाद संख्या 12/2013 बअनवान मोरीदेवी वगैरह बनाम तगाराम वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30.01.2023 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक **05.02.2026** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर व न्यायालय मुहर सर–ए–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

Scanned with OKEN Scanner